रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102020-222324
**CG-MH-E-09102020-222324**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**
**भाग III—खण्ड 4**
**PART III—Section 4**
**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 427] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2020/आश्विन 16, 1942**
**No. 427] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2020/ASVINA 16, 1942**

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**

**अधिसूचना**

मुंबई, 8 अक्तूबर, 2020

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2020

**सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/35.—**बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में, -

I. विनियम 2 में,

क. उप-विनियम (1) में, खंड (ज) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(ज) "निजी स्थानन" (प्राइवेट प्लेसमेंट) से अभिप्रेत है – किसी कंपनी द्वारा [सार्वजनिक प्रस्ताव (पब्लिक ऑफर) से भिन्न तरीके से] निजी स्थानन संबंधी प्रस्ताव-सह-आवेदन के जरिए चुनिंदा व्यक्तियों के समूह को प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाने (को सब्स्क्राइब करने) के लिए दिया जाने वाला प्रस्ताव (ऑफर) या आमंत्रण अथवा प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यू), जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 में निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो ।"

ख. उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में उपयोग किए गए किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 या उनके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों ।"

II. विनियम 4 में, उप-विनियम (4) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(4) निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 71 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक डिबेंचर न्यासियों को नियुक्त करेगा ।"

III. विनियम 5 में, उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् –

"(2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्गमकर्ता (इश्युअर) और अग्रणी मर्चेंट बैंककार (लीड मर्चेंट बैंकर) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में निम्नलिखित शामिल हों:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित किए गए प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र);

(ख) इन विनियमों की अनुसूची I में निर्धारित किए गए प्रकटीकरण;

(ग) अतिरिक्त प्रकटीकरण, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाए ।"

IV. विनियम 6क में, उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(3) सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरेन्डम) में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित किए गए प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) शामिल होंगे, और जिसमें संक्षिप्त निबंधन-पत्रक (टर्म शीट), हुए बड़े बदलावों, जिनमें शामिल हैं – रेटिंगों में हुए बदलाव (यदि कोई हों) और रेटिंग का तर्काधार तथा अनुसूची I में दिए हुए वित्तीय अनुपात, के बारे में प्रकटीकरण शामिल होंगे [निर्गम (इश्यू) से पहले और उसके बाद हुए बदलाव को दर्शाते हुए] ।"

V. विनियम 15 में, मौजूदा उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(2) प्रत्येक डिबेंचर न्यासी, अन्य बातों के साथ-साथ, उन न्यास विलेखों (ट्रस्ट डीड) को स्वीकार करेगा, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 और कंपनी (शेयर पूँजी और

डिबेंचर) नियम, 2014 में दिए हुए प्ररूप संख्या (फॉर्म नं.) एसएच.12 में उल्लिखित बातें शामिल हों । ऐसे न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के दो भाग होंगे:

क. भाग-क, जिसमें ऋण निर्गम (डैट इश्यू) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित जानकारी / मानक जानकारी होगी;

ख. भाग-ख, जिसमें किसी ऋण निर्गम (डैट इश्यू) विशेष के ब्यौरे होंगे।"

VI. विनियम 16 में, मौजूदा उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(1) किसी कंपनी के द्वारा जारी (निर्गमित / इश्यू) की गई ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के मोचन (रिडेम्प्शन) के लिए, निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) के प्रावधानों के अनुसार डिबेंचर रिडेम्प्शन रिज़र्व (डिबेंचर मोचन आरक्षिति) बनाएगा (सृजित करेगा) ।"

VII. विनियम 18 में, मौजूदा उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(2) जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) स्वयं द्वारा जारी (निर्गमित / इश्यू) की गई ऋण प्रतिभूतियों का रोल-ओवर (आवर्तन) करना चाहता हो, वहाँ वह ऐसा केवल ऐसी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) का विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) पारित होने के बाद ही करेगा और उन्हें प्रस्तावित रोल-ओवर के संबंध में पंद्रह दिनों की सूचना देगा ।"

VIII. विनियम 19 में,-

i. शीर्षक "आज्ञापक सूचीबद्धता", शब्दों तथा चिह्नों "अनिवार्य सूचीबद्धता (लिस्टिंग)" से प्रतिस्थापित हो जाएगा ।

ii. मौजूदा उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(1) जो निर्गमकर्ता (इश्युअर) जनता के लिए ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का प्रस्ताव लाना चाहता हो, वह कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 40 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के अनुसार एक या एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए आवेदन करेगा।"

IX. विनियम 20 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़) कंपनी अधिनियम, 2013, उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए जारी (निर्गमित / इश्यू) की हों;"

X. विनियम 21क के पश्चात् तथा विनियम 22 से पूर्व, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"**प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) का सृजन**

**21ख.** निर्गमकर्ता (इश्युअर) सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरैन्डम) में यह वचन देगा कि जिन आस्तियों (असेट्स) पर भार (चार्ज) सृजित किया गया है उन पर कोई ऋण-भार (विल्लंगम / इन्कम्ब्रेन्स) नहीं है, और जिन मामलों में ऋण (डैट) को प्रतिभूत (सिक्योर) करने के लिए आस्तियों पर पहले से ही भार सृजित किया हुआ हो, उन मामलों में निर्गमकर्ता (इश्युअर) की

आस्तियों पर द्वितीय भार (सैकेंड चार्ज) या एकसमान भार (पैरी पसु चार्ज) सृजित करने के लिए मौजूदा लेनदार (क्रेडिटर) से अनुमति या सहमति प्राप्त कर ली गई है।"

XI. विनियम 26 में,

क. उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(2) मर्चेंट बैंककार (बैंकर) यह सत्यापन करेगा और यह पुष्टि करेगा कि प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट्स) में सही-सही, उचित और पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं, और यह सुनिश्चित करेगा कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) इन विनियमों का पालन कर रहा है और साथ ही इन विनियमों की अनुसूची I और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) से संबंधित सभी जरूरी प्रकटीकरण किए जा रहे हैं।"

ख. उप-विनियम (6) के पश्चात्, निम्लिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(7) निर्गमकर्ता उसी प्रकार एक रिकवरी एक्सपेन्स फंड बनाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, और उसके बारे में डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) को सूचित करेगा।"

XII. विनियम 28 में, शब्दों तथा चिह्नों "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621" के लिए, शब्द तथा चिह्न "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 439" प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XIII. अनुसूची I में, पैरा 3 में, उप-पैरा (ख) में,

क. सारणी में "चूक की घटनाएँ" शीर्षक वाले मौजूदा कॉलम के पश्चात्, नए कॉलम के रूप में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"

| | |
|---|---|
| रिकवरी एक्सपेन्स फंड बनाना | क. रिकवरी एक्सपेन्स फंड के ब्यौरे और उसका उद्देश्य |

"

ख. सारणी में "अभिलिखित तारीख (रिकॉर्ड डेट)" शीर्षक वाले मौजूदा कॉलम के पश्चात्, नए कॉलम के रूप में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"

| | |
|---|---|
| निर्गम (इश्यू) की सभी शर्तें आदि (प्रसंविदाएँ / कोविनेन्ट) [जिनमें शामिल हैं – साइड लैटर, तत्काल भुगतान करने संबंधी खंड, आदि] | |

"

ग. सारणी में "चूक की घटनाएँ" शीर्षक वाला कॉलम, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"

| | |
|---|---|
| चूक की घटना [जिसमें शामिल हैं - मतदान का तरीका / इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में शामिल होने की शर्तें] | |

"

घ. "रिकवरी एक्सपेन्स फंड बनाना" शीर्षक वाले नए कॉलम के पश्चात्, नए कॉलम के रूप में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"

| | |
|---|---|
| शर्तों आदि (प्रसंविदाएँ / कोविनेन्ट) [जिनका उल्लेख डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्रस्ट डीड) में किया गया हो] का उल्लंघन किन परिस्थितियों में हुआ | |

"

ङ. "सिक्यूरिटी (जहाँ लागू हो) {जिसमें शामिल है - सिक्यूरिटी का वर्णन, उसका प्रकार, भार (चार्ज) का प्रकार, प्रतिभूति के सृजन की संभावित तारीख, न्यूनतम सिक्यूरिटी कवर, पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन), प्रतिभूति का प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट), डिबेंचर धारक (डिबेंचर होल्डर) को कूपन दर के अलावा दिया जाने वाला ब्याज [जिसका उल्लेख न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में किया गया हो और जिसे प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में प्रकट किया गया हो]}" शीर्षक वाला कॉलम, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"

| | |
|---|---|
| सिक्यूरिटी (जहाँ लागू हो) का विवरण {जिसमें शामिल है – सिक्यूरिटी का प्रकार [चल/अचल/मूर्त (टैंजिबल) आदि], भार (चार्ज) का प्रकार (गिरवी / बंधक आदि), सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) के सृजन की तारीख / सिक्यूरिटी के सृजन की संभावित तारीख, न्यूनतम सिक्यूरिटी कवर, पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन), सिक्यूरिटी का प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट), डिबेंचर धारक (डिबेंचर होल्डर) को कूपन दर के अलावा दिया जाने वाला ब्याज [जिसका उल्लेख न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में किया गया हो और जिसे प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरैन्डम) में प्रकट किया गया हो]} | |

"

च. सारणी में "डिबेंचर न्यासी की भूमिका और जिम्मेदारियाँ" शीर्षक वाले मौजूदा कॉलम के पश्चात्, नए कॉलम के रूप में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"

| | |
|---|---|
| निर्गम (इश्यू) से संबंधित जोखिम कारक | |

"

छ. सारणी के अंत में, टिप्पण में क्रम सं. 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

*"4. जहाँ ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्यूरिटीज़), डिबेंचर न्यासी के पक्ष में, मूलधन और ब्याज की रकम के 100 % तक या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरैन्डम) की शर्तों आदि के अनुसार प्रतिभूत (सिक्योर्ड) हों, तो ऐसे में डिबेंचर न्यासी का यह कर्तव्य है कि वह इस पर नज़र रखे कि सिक्यूरिटी बनाए रखी जा रही है, हालाँकि, 100 % रकम की वसूली इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को लागू करवाने (के प्रवर्तन) के समय बाजार की स्थिति कैसी है।"*

XIV. अनुसूची II में, पैरा 4 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"4. हम यह भी पुष्टि करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा उनके तहत जारी किए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धाँतों / गाइडलाइन्स), परिपत्रों (सर्कुलर्स) के सभी संबंधित प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/4/असा./288/2020-21]

**<u>पाद टिप्पणः</u>**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 द्वारा, 6 जून 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. वे तत्पश्चात्:

   क) 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392, द्वारा

   ख) 31 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/43/207, द्वारा

   ग) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

   घ) 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एम.आर.ओ./जी.एम./2014-15/25/539, द्वारा

ङ) 2 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, द्वारा

च) 25 मई 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/004, द्वारा

छ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

ज) 13 जुलाई, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/009, द्वारा

झ) 15 दिसम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/023, द्वारा

ञ) 9 अक्तूबर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/42, द्वारा

ट) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/13, द्वारा

ठ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

## NOTIFICATION

Mumbai, the 8th October 2020

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/35:—**In exercise of the powers under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2020.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008,-

   I. In regulation 2,

      a. in sub-regulation (1), clause (h) shall be substituted with the following, namely, -

         "(h)"Private placement" means an offer or invitation to subscribe or issue of securities to a select group of persons by a company (other than by way of public

offer) through private placement offer-cum-application, which satisfies the conditions specified in section 42 of the Companies Act, 2013."

b. in sub-regulation (2) the words and symbols "Companies Act, 1956" shall be substituted with the words and symbols "Companies Act, 2013".

II. In regulation 4, in sub-regulation (4), the words and symbols "Section 117B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be substituted with the words and symbols "Section 71 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)".

III. In regulation 5, in sub-regulation (2), clause (a) shall be substituted with the following, namely, -

"disclosures specified in Companies Act, 2013 and Rules prescribed thereunder;".

IV. In regulation 6A, in sub-regulation (3), the words and symbols "Companies Act, 1956 or " and "whichever is applicable" shall be omitted.

V. In regulation 15, the existing sub-regulation (2), shall be substituted with the following, namely,-

"(2) Every debenture trustee shall amongst other matters, accept the trust deeds which shall contain the matters as prescribed under section 71 of Companies Act, 2013 and Form No. SH.12 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014. Such trust deed shall consist of two parts:

a. Part A containing statutory/standard information pertaining to the debt issue.
b. Part B containing details specific to the particular debt issue."

VI. In regulation 16, in sub-regulation (1), the words and symbols "Companies Act, 1956" shall be substituted with the words and symbols "Companies Act, 2013."

VII. In regulation 18, in sub-regulation (2), the words "twenty one days" shall be substituted the words "fifteen days".

VIII. In regulation 19, in sub-regulation (1), the words and symbols "sub-section 1 of section 75 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be substituted with the words and symbols "sub-section (1) and sub-section (2) of section 40 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)."

IX. In regulation 20, in sub-regulation (1), in clause (a), the words and symbols "Companies Act, 1956" shall be substituted with the words and symbols "Companies Act, 2013."

X. After regulation 21A and before regulation 22, the following new regulation shall be inserted, namely,-

**"Creation of Security**

**21B.** The issuer shall give an undertaking in the Information Memorandum that the assets on which charge is created are free from any encumbrances and in cases where the assets are already charged to secure a debt, the permission or consent to create a second or pari-passu charge on the assets of the issuer has been obtained from the earlier creditor."

XI. In regulation 26,

a. in sub-regulation (2), the words and symbols "Schedule II of the Companies Act, 1956" shall be substituted with the words and symbols "the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder."

b. after sub-regulation (6), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

"(7) The issuer shall create a recovery expense fund in the manner as maybe specified by the Board from time to time and inform the Debenture Trustee about the same."

XII. In regulation 28, the words and symbols “section 621 of the Companies Act, 1956” shall be substituted with the words and symbols “section 439 of the Companies Act, 2013”.

XIII. In Schedule I, in para 3, in sub-para B,

a. the following shall be inserted as a new column in the table after the existing column titled “Events of Default”, namely,-

“

| | |
|---|---|
| Creation of recovery expense fund | a. Details and purpose of the recovery expense fund. |

”

b. the following shall be inserted as a new column in the table after the existing column titled “Record Date”, namely, -

“

| | |
|---|---|
| All covenants of the issue (including side letters, accelerated payment clause, etc.) | |

”

c. the column titled “Events of Default” in the table, shall be substituted with the following, namely, -

“

| | |
|---|---|
| Event of Default (including manner of voting /conditions of joining Inter Creditor Agreement) | |

”

d. the following shall be inserted as a new column after the new column titled “Creation of Recovery Expense Fund”, namely, -

“

| | |
|---|---|
| Conditions for breach of covenants (as specified in Debenture Trust Deed ) | |

”

e. the column titled “Security (where applicable) (Including description, type of security, type of charge, likely date of creation of security, minimum security cover, revaluation, replacement of security, interest to the debenture holder over and above the coupon rate as specified in the Trust Deed and disclosed in the Offer Document])” shall be substituted with the following, namely,-

“

| | |
|---|---|
| Description regarding Security (where applicable) including type of security (movable/immovable/tangible etc.), type of charge (pledge/ hypothecation/ mortgage etc.), date of creation of security/ likely date of creation of security, minimum security cover, revaluation, replacement of security, interest to the debenture holder over and above the coupon rate as specified in the Trust Deed and disclosed in the Offer Document/ Information Memorandum. | |

”

f. the following shall be inserted as a new column in the table after the existing column titled “Role and Responsibilities of Debenture Trustee”, namely, -

“

| | |
|---|---|
| Risk factors pertaining to the issue | |

”

g. At the end of the table, the following shall be inserted after point 3. in the Notes, namely, -

"4. While the debt securities are secured to the tune of 100% of the principal and interest amount or as per the terms of offer document/ information Memorandum , in favour of Debenture Trustee, it is the duty of the Debenture Trustee to monitor that the security is maintained, however, the recovery of 100% of the amount shall depend on the market scenario prevalent at the time of enforcement of the security."

XIV. In Schedule II, para 4, the words and symbols "Companies Act, 1956" shall be substituted with the words and symbols "Companies Act, 2013."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./288/2020-21]

**Footnotes**:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue And Listing Of Debt Securities) Regulations, 2008, were published in the Gazette of India on 6th June, 2008 vide No. LADNRO/GN/2008/13/127878.
2. They were subsequently amended on:

a) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392.

b) 31st January, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207.

c) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

d) 24th March, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/25/539.

e) 2nd September, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.

f) 25th May, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Issue an Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. LAD-NRO/GN/2016-17/004.

g) 6th March, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. LAD-NRO/GN/2016-17/037.

h) 13th June, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/009.

i) 15th December 2017 by Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities)(Second Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/023.

j) 9th October, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/42.

k) 7th May, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2019 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/43.

l) 17th April, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.